N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0171 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/07/2025 19:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2020 Date To (दिनांक तक): 25/04/2023

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/07/2025 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/07/2025 19:40:34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 83 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): NAGARPALIKA JAITARAN TATKALEEN JILA PALI, HAAL JILA BEAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): GAJENDRA SOLNKI

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHANKARLAL SOLNKI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DALMEEL AREA NIMAZ ROAD JAITARAN, TATKALEEN JILA PALI, HAAL JILA BEAWAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DALMEEL AREA NIMAZ ROAD JAITARAN, TATKALEEN JILA PALI, HAAL JILA BEAWAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMSWAROOP BHATI		पिता:MOHANLAL	1. FAUJI CHAURAHA GAUSHALA ROAD,JAITARAN JILA BEAWAR,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
2	CHAIL KANWAR		पिता:HIMMAT SINGH CHARAN	1. VIDYA BHAWAN SHIV SHANKAR SADAN,NOKH, RAIPUR JILA PALI HAAL BEAWAR,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	मुल्य अनुसंधान से स्पष्ट होगा	

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी परिवादी श्री गजेन्द्र सोलंकी पुत्र शंकरलाल सोलंकी जाति माली उम्र 34 साल निवासी दालमील एरीया निमाज रोड जैतारण तत्कालीन जिला पाली हाल जिला ब्यावर ने ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होकर एक लिखित शिकारयत इस आश्य की पेश की कि जैतारण नगरपालिका में प्रशासन शहरो के संग अभियान के तहत दिये जा रहे पटटो में भारी अनियमितता, बिना ले-आउट पास व मास्टर प्लान को दरकिनार कर अवैध पटटे देकर भारी भ्रष्टाचार किया है जो निम्नानुसार है- 01. जैतारण में भाटीयो के बास मे घेवर लाबु वल्द धुला माली के नाम से पटटा संख्या 46 बना हुआ था इस भूमि का बंटवारा भी नही हुआ था। शंकरलाल, श्रीलाल, सोहनलाल व गजेन्द्र ने नगरपालिका जैतारण मे आपति दर्ज करवायी व 181 राजस्थान सरकार सम्पक पोर्टल पर भी आपति दर्ज करवायी। उसके उपरांत भाजपा चैयरमैन ने पैसे लेकर पन्नालाल पुत्र धुलाराम को फर्जी पटटा जारी कर दिया जो कि नियमो के विरूध था। 02. पालिका ने नगरपालिका क्षेत्र की स्वीकत खसरा नम्बर 882/8 में आशापूर्णा नगर नाम से कोलोनी के स्थीकत पलान अनुसार प्लॉट संख्या 143 से 145 तक इनफोरमल मार्केट के पटटे जारी किये है जबकि नियमानुसार स्थीकत प्लान में इनफोरमल मार्केट के लिये स्वीयक्त क्षेत्र के पटटे हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ नक्शा पुनः। स्थीकत करवाया जाना होता है एवम ऐसे पटटे केवल कोलोनाईजर नाम से ही जारी किये जा सकते हैं। जबकि पालिका ने न केवल पुनः संशोधित प्लान स्वीकृत कराया बल्कि किसी अन्य के नाम से जारी कर दिये गये। जो नियम विरुध है तथा मानचित्र में दर्शित संशोधन के अनुसार आरक्षित सुविधाजनक दुकाने की भूमि का मानचित्र नियमानुसार प्रथक से अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही किए जाने का निर्देश होने के बाद भी सीधे ही व्यवसायिक पटटे जारी कर दिए गए जो नियम विरुद्ध है। 03. जैतारण शहर में बाजार में स्थित सोनी समाज के भवन पर पूर्व में पटटा दिया हुआ था लेकिन जैतारण नगरपालिका के चैयरमैन ने पूर्व वाले पटटे को दरकिनार कर उसी भवन पर एक और नया पटटा जारी कर दिया। जिसका मामला अभी हाल ही में जैतारण थाने में सुरेश सोनी ने दर्ज करवाया था। 04. जैतारण में पावन धाम (जैन सनातन ट्रस्ट) को चैयरमैन ने अपने पद व पावर का दुरुपयोग कर बिना सक्षम अधिकारी के बिना अनुमोदन कर 20 बीघा भूमि का एकल पदटा जारी किया है। फिर मैंने शिकायत की जब इन्होने दिये गये पटटे को खारिज किये बिना ही नई फाईल प्रोसेस कर दी और राज्य सरकार की अनुमति के लिये फाईल को भेजा व पूर्व वाला पटटा केन्सील किये बिना ही राज्य सरकार से अनुमति लेकर एक और दूसरा पटटा जारी कर दिया। इसमे चैयरमैन व अधिशाषी अधिकारी ने करोडो रूपये का गबन किया। अतः दोनों पत्रावलिया जब्त कर इनकी गहन जांच की जाये। 05. जैतारण में गोपाल द्वारा क्षेत्र में गोपाल द्वारा की डोली की जमीन पर 2-3 पटटे जारी कर दिये यह जमीन गोपाल द्वारा ट्रस्ट के नाम थी और सम्पूर्ण राजपूत समाज ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। 06. जैतारण में तख्तराज पुत्र श्री बच्छराज की जमीन गंगवा की बगीची जो कि मुख्य बस स्टेण्ड पर आई हुई हैं व करोड़ो रूपयों की बेस किमती भूमि हैं। इस भूमि का विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय में काफी वर्षो से विचाराधीन हैं। उक्त भूमि पर किरायेदार कब्जा जमाए बैठे हुए है इस भूमि पर भाजपा बोर्ड के चैयरमैन खुद भी कब्जा किया हुआ है। अपने पद का दुरुपयोग कर सभी किरायेदार व खुद की मां गीता देवी के नाम से भी फर्जी पट्टा जारी कर दिए गए। 07. जैतारण नगर पालिका क्षेत्र में स्थित गौशाला एरिया में विवादित व न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर बनी हुई अस्थाई ढाबा संचालको से व अन्य लोगो से लाखों रूपये लेकर कानून को ताक में रखकर फर्जी पट्टे जारी कर दिए। 08. जैतारण क्षेत्र में देवरिया मार्ग पर सार्वजनिक नाले घर बनी दुकानो का रूपये लेकर चेयरमैन ने फर्जी पट्टा जारी कर दिया। तथा कुछ लोगो ने इनका जमकर विरोध किया तब जाकर थोथी खाना पूर्ति कर गुड्डी देवी पनि श्री रतनलाल जाति माली जारी पट्टे को निरस्त करने का नोटिस निकाला। परन्तु दुकान का पट्टा व कब्जा अभी भी प्रार्थी के पास हैं। अपने पद का

दुरुपयोग कर इतना बड़ा सरकार को करोडो रूपये का चुना लगाने का काम भाजपा चैयरमैन द्वारा किया गया। 09. नगर पालिका जैतारण क्षेत्र में झुझण्डा रोड़ पर धार्मिक समाधियों की भूमि पर पैसे लेकर चैयरमैन व अधिशाषी अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए। उक्त भूमि का विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन हैं। 10. जैतारण क्षेत्र में झुझण्डा रोड जो कि बस स्टेण्ड से मुख्य बाईपास को जोड़ने वाली रोड पर भाजपा चैयरमैन ने अपने परिजन/रिश्तेदारों को करोड़ो रूपये की सरकारी रास्ते की भूमि पर चार दिवारी निर्माण करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया व फर्जी पट्टे देने की फिराक हैं। 11. नगर पालिका में खसरा नम्बर 1078/3 जो कि स्वीकृत मास्टर प्लान में खसरा नम्बर 103 परिधी नियंत्रण पट्टी में होते हुए भी आवासीय पट्टे जारी कर दिए गए। जबकि परिधी नियंत्रण पट्टी व ग्रीन बेल्ट में आवासीय पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। नगर पालिका में स्वीकृत मास्टर प्लान के सुपर इम्पोज किये गए नक्शा सलंग्र हैं। 12. नगर पालिका ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 फोरलेन नोबल चौराहा के समीप ही खसरा नम्बर 952 में स्वीकृत मार्गाधिकार से कम क्षेत्र में होटल व्यवसाय का पट्टा जाय कर दिया जबकि न्यूनतम मार्गाधिकार 100 फीट है जबकि राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 की तहत राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मार्ग के सड़क के मध्य बिन्दु से 40 मीटर के बाद आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टे जारी किए जा सकते है और व्यवसायिक प्रयोजन हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 75 मीटर छोड़कर पट्टे जारी किए जा सकते हैं। खसरा नम्बर 952 में इस अधिनियम के परे जाकर नगर पालिका जैतारण द्वारा सड़क सीमा में व्यवसायिक पट्टे जारी कर दिए गए। जारी पट्टे किए गए मास्टर प्लान की फोटो प्रति सलग्र हैं। 13. स्थानीय उपखण्ड कार्यालय के सामने नया तालाब की भूमि पर पूर्व नगर पालिका मण्डल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पक्षकार के पक्ष में पारित होने पर क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के विधि परामर्शी व स्वय उप निदेशक के आदेश से 300 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया। 300 वर्गगज से ज्यादा पट्टा देने का प्रावधान नहीं है और जिस पार्टी को पूर्व में पट्टा जारी किया उससे सूचना पत्र जारी किया गया और उससे लिखित सहमति प्राप्त भी की पट्टे के अतिरिक्त भूमि रिक्त रखूंगा इसके बावजूद भी वर्तमान पद स्थापित पदाधिकारियों ने पूर्व में जारी भूखण्ड के आगे व पीछे 2 पट्टे जारी कर दिये जो नियम विरुद्ध है। जमाबन्दी व मौके की जांच कराने का अनुरोध हैं। 14. निवेदन है कि नगर पालिका क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान से विपरित जाकर परिधि नियंत्रण पट्टा तथा ग्रीन बेल्ट की कृषि भूमियों में आवासीय/व्यवसायिक पट्टे जारी कर दिये गये जिससे नगर नियोजक की राय भी नहीं ली गई जो एक जाच का विषय है गभीर अनियमितता की पोल खुलेगी। 15. स्थानीय गंगबा बगेची (बस स्टेण्ड जैतारण) जो नगर पालिका की सम्पति थी जिमे काफी विवाद के पश्चात सार्वजनिक सम्पति माना जिसका भी उच्च न्यायालय में अभी तक बाद विचाराधीन है उस सम्पति पर पट्टे जारी कर दिये। 16. नगर पालिका क्षेत्र में स्थित बावड़ियों की भूमि पर बिना कब्जा किये व अवैध कब्जा करवाकर पार्टियों से मोटी रकम लेकर पट्टे जारी कर दिये व व्यवसायिक निर्माण भी करवा दिये गये। सार्वजनिक बावड़ी की भूमि पर बिना कब्जे खांचा पट्टी के पट्टे जारी कर दिये जबकि खांचा पट्टी के लिए राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 अन्तर्गत I. भूमि प्रार्थी के पट्टासुदा भूमि मे लगती हुए कब्जे की भूमि हो जिस पर निर्माण हो। 2. प्रश्नगत भूमि बिल्डिंग साइज (भवन रेखा) में हो 3. भूखण्ड का स्वतंत्र रूप से निलाम से विक्रय नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त बिन्दुओं की पालना किये बगैर ही पट्टे जारी कर दिए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस भाजपा के अध्यक्ष की हटधर्मीता व भ्रष्टाचार का खुलम खुला खेल किया है। आप उच्च स्तरीय टीम गठित करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करके जैतारण शहर की जनता को राहत पहुंचायें । परिवादी की शिकायत को ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर अनुसंधान हेतु संबंधित विभाग से पूर्वानुमति चाही गई जिस पर स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.2(क)( )भ.नि.ब्यूरो/जाच/डीएलबी/24/418 दिनांक 28-05-25 के द्वारा धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अनुसंधान हेतु पूर्वानुमति प्राप्त हुई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत एवम शिकायत के सलग्न पददा विलेख, मास्टर प्लान, खसरा जमाबंदी एवम पटटा पजीयन संबन्धी दस्तावेजात साक्ष्यों के विश्लेषण से नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में स्थित राजकीय भूमि पर अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण एवं तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा एवं लाभार्थीगण से मिलीभगत कर नियम विरुद्ध पटटे जारी करना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। परिवादी की शिकायत में अंकित तथ्यों एवं सलग्न दस्तावेजात साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री रामस्वरूप भाटी अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण एवं श्रीमति छैल कवर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग कर लाभार्थीगण मे मिलीभगत कर अपने हितबद्ध व्यक्तियो को लाभकारित करने की मंशा से एवं अन्य लोगो से अवैध पारितोषण लेकर निमय विरुद्ध पटटे जारी कर नगरपालिका क्षेत्र की राजकीय भूमि को खुर्द बूर्द कर राजकोष को हानि कारित करने का कत्य जुर्म धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री रामस्वरूप भाटी अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण एवं श्रीमति छैल कयर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण जिला पाली हाल जिला ब्यावर एवं अन्य आरोपीगण जो कि अनुसंधान से उजागर होंगे के विरूध जुर्म धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अगिम अनुसंधान के आदेश प्रदान करावे। भवदीय (खींवसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों पाली द्वितीय,............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में आरोपीगण 01.श्री रामस्वरूप भाटी पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासी फौजी चौराहा गौशाला रोड जैतारण जिला ब्यावर हाल अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण एवं 02.श्रीमति छैल कंवर पुत्री हिम्मत सिंह चारण तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जैतारण निवासी विधा भवन शिव शंकर सदन नोख तहसील रायपुर जिला पाली हाल जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 46 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 978–82 दिनांक 03.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2-निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 2330)अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Paras Soni **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/07/2025 19:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Female	13/07/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)